

कार्यालय: जिला शिक्षा पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम)

प्रा० एवं सर्व शिक्षा अभियान शाखा

पत्रांक.....466.....

प्रेषक,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी  
प्रा० एवं सर्व शिक्षा अभियान  
बिहार शिक्षा परियोजना, रोहतास  
सासाराम।

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

श्री-द्र. इ. वि. म. स्कूल  
कबीरगंज सासाराम

सासाराम, दिनांक...28/2/15

विषय:- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अंतर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन - पत्र दिनांक..... और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय ..... (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता)..... कक्षा I से ..... तक संचालन हेतु औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी:

1. प्रस्वीकृति किसी की परिस्थिति में कक्षा ..... तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक-1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम नियमावली 2011 (अनुलग्नक-2) का अनुपालक आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से खाता का संधारण करेगा।

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

5. सोसाइटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त कि जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अभिभावक का स्कीनिंग नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे का नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म-स्थान आदि कारणों किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे:
  - I किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय निष्कासित किया जाएगा।
  - ii किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
  - iii किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बाह्य परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
  - iv प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
  - v अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग / विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का समावेशन किया जाएगा।
  - VI शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समकालीन वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो, निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं वे वर्षों के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
  - VII शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
  - VIII शिक्षक निजी -स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण -गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे
    8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा, निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
    9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं व आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
    10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत :-


विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल, 150 x 50

कुल निर्मित क्षेत्र,


खेल के मैदान का क्षेत्र,

वर्गकक्षों की कुल संख्या, 12

17. निदेशक , प्राथमिक शिक्षा / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रा० एवं सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा समय-समय पर मॉग किए गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. यह प्रस्वीकृति निरीक्षण के आधार पर दी जा रही है यदि किसी प्रकार की सूचना गलत पायी गई या शिक्षा अधिकार नियमावली का पालन नहीं होने की स्थिति में आपको दी गई प्रस्वीकृति रद्द कर दी जाएगी।
20. यह प्रस्वीकृति औपबंधिक दी गई है, इसलिए विद्यालय के आधारभूत संरचना को यथाशीघ्र शिक्षा अधिकार नियमावली के आलोक में व्यवस्थित कर लें, अन्यथा ऐसा नहीं करने की स्थिति में इसकी पूरी जवाबदेही आपकी होगी।

  
hasme  
29/04/15

विश्वासभाजन

  
23.2.15

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी  
प्रा० एवं सर्व शिक्षा अभियान  
बिहार शिक्षा परियोजना, रोहतास, सासाराम